न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 432 / 2024
वाद पत्र अ.धारा:– 88,53, आर,टी.ए.

1. देवीलाल पुत्र. स्व. श्री मनफुल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. महेन्द्र पुत्र. स्व. श्री मनफुल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

––वादीगण

बनाम

1. श्रीमति विध्यादेवी पुत्री स्व. श्री मनफुल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. श्रीमति रानी देवी पुत्री स्व. श्री मनफुल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
3. मोहनलाल पुत्र. श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
4. महावीर पुत्र. श्री राजाराम उर्फ राजेराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया, तहसील–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़(राज0)

–– प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. *श्री सुनील कुमार टाण्डी – वकिल वादीगण*
2. *श्री विवेक बुडानिया –वकिल प्रतिवादी सं. 1 व 2*
3. *श्री प्रदीप जाखड – वकिल प्रतिवादी सं. 3 ता 4*

दिनांक:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.09.11 17:07:13 IS
Reason: SelfAttested

निर्णय

1. वादीगण देवीलाल वगैरा ने प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 के विरूद्व यह राजस्व वाद बाबत घोषणा व खाता तकसीम के तहत दिनांक 29.07.2024 को इस न्यायालय

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

मे पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार का पजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण कि सगी बहिने है। वादीगण व प्रतिवादी 1 से 2 के पिता स्व. श्री मनफूल के नाम से संगरिया तहसील के चक नं. 9 एम.जे.डी के जमाबदी संवत् 2071–74 के खाता सं. 78/48 में 0.506 हैक्टेयर व चक नं. 14 ए.एम.पी कि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सं.67/50 मे 1.138 हैक्टैयर कृषि भूमि तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम संयुक्त खाता मे चक नं. 14 ए.एम.पी कि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सं. 57/53 मे 0.759 हैक्टैयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न वाद–पत्र है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरू तौर पर फसल कास्त व खाला रास्ते कि सुविधा के अनुसार काफी अरसा पूर्व आपस में घरू बंटवारा कर लिया था। उसी के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी वाधा फसल कास्त करते आ रहे हैं कब्जा कास्त को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता श्री मनफुलराम कि मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 को अपने पिता स्व. श्री मनफुलराम विरास्तन मे प्राप्त हुई है। जिसमे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का 1/4 हिस्सा प्रत्येक विरास्तन बनता है। प्रतिवदी संख्या 1 ता 2 अपने पिता से प्राप्त विरास्तन कृषि भूमि हक व हिस्सा अपने पास नही रखना चाहती है। इस लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपना हक व हिस्सा वादीगण अपने सगे भाईयो के पक्ष में मौखीक रूप से हक त्याग कर दिया है। इस प्रकार मुताबिक घरू बंटवारा व विरास्तन में वादीगण के हक व हिस्सा तथा कब्जा काशत में निम्नलिखित कृषि भूमि आई है:वादी सं. 01 देवीलाल की कब्जा काशत कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:– चक नं. 9 एम.जे.डी के खाता सं. 78/48 के प.नं. 141/173 के मु.नं.13 के किला नं.3, 4/0.506 व चक नं.14 ए.एम.पी के खाता सं. 67/50 के प.नं. 140/173 के मु.नं. 48 के किला नं.1/0.253है. खाता सं. 57/53 के प.नं.140/173 के मु.नं. 48 के किला नं 10/0.06325 हैक्ट. उतर दिशा कुल 0.82225 हैक्ट. वादी सं. 02 महेन्द्र की कब्जा काशत कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:– चक नं. 14 ए.एम.पी के खाता सं. 67/50 के प.नं. 141/172 के मु.नं. 38 के किला नं. 16–25/0.253है.प्र प.नं. 139/173 के मु.नं. 47 के किला नं. 5/1/0.126हैक्ट 6/0.253 हैक्ट व खाता 57/53 के प.नं.140/173 के मु.नं. 48 के

Signature Not Verifie
Digitally signed by Rakes
Meena
Date: 2024.09.11 17:07:1
Reason: SelfAttested

किला नं.10/0.06325 हैक्ट. उत्तर दिशा 22/0.253हैक्ट कुल 1.20125 हैक्ट वादीगण अपने पिता से विरासतन मे प्राप्त कृषि भुमि पर घरूबंटवारा के मुताबिक अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर अरसा दराज से काशत करते चले आ रहे है व अपनी कब्जा काश्त कृषि भूमि में अपना श्रम व काफी पैसा खर्च कर सुधार किया है। अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का मनमुटाव व झगड़ा न रहे। इस कारण वादीगण अपना खाता सांझा नही रखना चाहते है। अतः वादीगण अपना मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काशत के मुताबिक खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करवाने के व अपने पिता से विरासतन में प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का एक मुश्त हकदार एवं दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि मुताबिक बंटवारनामा व मौका की कब्जा काशत के मुताबिक खातेदार काश्तकार मानकर अपना खाता अलग से कायम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवा लेवें, किन्तु प्रतिवादीगण पहले टाल मटोल करते रहे एवं पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इंकार कर दिया। बस यही विनाय दावा है। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज कृषि भूमि पर वादीगण अरसा दराज से काबिज होकर काशत करते चले आ रहे है व परिश्रम कर व काफी पैसा खर्च कर समतल बनाया व काशत करने योग्य बनाया यदि हक व हिस्सा व मुताबिक कब्जा काशत के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम नहीं किया गया तो वादीगण को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नही आंकी जा सकेगी। वादीगण ने उक्त कृषि भूमि अपने पिता स्व.श्री मनफुलराम से विरास्तन में प्राप्त हुई थी जिस पर वादीगण उक्त कृषि भूमि पर बिना किसी बाधा व ऐतराज के फसल काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि सांझा खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ सीवं बट पानी की बारी व रकम राज को लेकर झगड़ा होने का अन्देशा बना रहता है। उक्त कृषि भूमि का खाता सांझा होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर बूरा प्रभाव पड़ रहा है इसलिए वादीगण अपना खाता अलग करवाना चाहते है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन हमेशा ही वादीगण के पक्ष में रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को सहकाशत होने के कारण व प्रतिवादी सं. 5 को लैण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। उनसे किसी प्रकार का सीधे रूप से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा बाबत खाता तकसीम व घोषणात्मक का है जो कि 4/-रूपयें की न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है, एवं कालि समायत अदालत

Signature Not Ver
Digitally signed by Rak
Meena
Date: 2024.09.11 17:0
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

वाला है व अन्दर मियाद है। लिहाजा वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें (क) ––यह है कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि का खाता वाद–पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के पिता मनफुलराम का नाम कलमजन कर व कब्जा काशत के आधार पर खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जावें।

उक्त तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पत्र तलब किया गया। प्रति. सं. 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर प्रति.सं. 1 व 2 जबाव दावा व प्रति. सं. 3 व 4 जबाव दावा मय काडन्टर कलेम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जबाव दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रकरण में प्रतिवादीगण सहमत होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। वकिल वादी को साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया साक्ष्य वादीगण में वादी ने शपथ पत्र अ. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया जेा शामिल पत्रावली किया गया व दस्तावेज जमाबन्दीया प्रर्दशित करवाई गई व वकिल वादीगण शेष साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते है इसलिए साक्षी वादीगण बन्द किया जाकर प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर दिया गया वकिल प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी।

बहस वकिल उभयपक्ष सुनी गई। वकिल वादीगण ने वाद पत्र कथनो को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया बहस मे वकिल प्रतिवादीगण द्वारा वकिल वादीगण के कथनो का विरोध नही करते हुए वाद डिकी करने हेतु सहमति जताई

दस्तावेजो का गहराई से अधयन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया वकिल प्रतिवादीगण द्वारा वकिल वादीगण के कथनो का विरोध नही किया प्रति. सं. 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता हाजीर अदालत आकर जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही है। प्रशनगत भूमि विरास्तन भूमि है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का काउन्टर क्लेम रस्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verifie
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:07:13
Reason: SelfAttested

कियात्मक आदेश

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

अतः वाद वादीगण व काउन्टर क्लेम प्रति.सं. 3 व 4 उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता है। :- कि वादीगण के पिता स्व. श्री मनफुलराम के नाम दर्ज चक नं. 9 एम.जे.डी के जमाबदी संवत् 2071-74 के खाता सं. 78/48 में 0.506 हैक्टेयर व चक नं. 14 ए.एम.पी कि जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता सं. 67/50 मे 1.138 हैक्टैयर कृषि भुमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के पिता स्व.श्री मनफुलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जावे व वाद पत्र कि चरण सख्या 03 के अनुसार वादीगण का व काउन्टर क्लेम कि दफा 10 (क) व 10(ख) के अनुसार प्रति. सं. 3 व 4 खाता तकसीम कर अलग से रकमराज कायम कि जाती है। पर्चा डिकी अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकरान अपना अपना अलग वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 6/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड
अधिकारी, संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakes
Meena
Date: 2024.09.11 17:07:1
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रकिया संहिता

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.:– 432 / 2024

वाद पत्र अ0 धारा 88,53 आर.टी.ए.

देवीलाल पुत्र. स्व. श्री मनफुल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

महेन्द्र पुत्र. स्व. श्री मनफुल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

––वादीगण

बनाम

श्रीमति विध्यादेवी पुत्री स्व. श्री मनफुल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

श्रीमति रानी देवी पुत्री स्व. श्री मनफुल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

मोहनलाल पुत्र. श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

महावीर पुत्र. श्री राजाराम उर्फ राजेराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार राजस्व संगरिया, तहसील–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़(राज0)

–– प्रतिवादीगण

Sign: 6.9.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.11 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टांडी वकिल वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री विवके बुडानिया वकिल प्रति.सं. 01 ता 02 व श्री प्रदीप जाखड वकिल प्रतिवादी सख्या 3 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है यह डिक्री दी जाती है;–कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 व 4 को मुताबिक वाद पत्र व काउन्टर क्लेम मे वर्णित कृषि भूमि अनुसार खातेदार

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन कर अलग रो रकमराज कायम कि
कर चक नं. 9 एम.जे.डी के खाता सं. 78/48 व चक नं. 14 ए.एम.पी के खाता सं.67/50
ादीगण के पिता स्व.श्री मनफुलराम का नाम कलमजन किया जाता है वाद पत्र व
ुन्टर क्लेम मे वर्णित कृषि भूमि का विवरण निम्नप्रकार रो है।

नं. 9 एम.जे.डी. खाता सख्या 78/48

ी सं. 01 देवीलाल की कृषि भूमि

. नं.	मु. नं.	किला नं.
41/173	13	3, 4/0.506

क नं. 14 ए.एम.पी. खाता सख्या 67/50 व 57/53

प. नं.	मु. नं.	किला नं.
140/173	48	1/0.253है..
140/173	48	10/0.06325 हैक्ट. उतर दिशा

ुल 0.31625 हैक्ट

दी सं. 02 महेन्द्र की कृषि भूमि

क नं. 14 ए.एम.पी. खाता सख्या 67/50 व 57/53

प. नं.	मु. नं.	किला नं.
141/172	38	16–25/0.253है.प्र.
139/173	47	5/1/0.126हैक्ट 6/0.253 हैक्ट
140/173	48	10/0.06325 हैक्ट. उतर दिशा
		22/0.253हैक्ट

कुल 1.20125 हैक्ट

प्रति. सं.03 मोहनलाल.के हक मे आई कृषि भूमि

चक नं. 14 ए.एम.पी. खाता सख्या 57/53

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
140/173	48	10/0.1265हैक्ट दक्षीण दिशा

प्रति. सं.04 महावीर.के हक मे आई कृषि भूमि

चक नं. 14 ए.एम.पी. खाता सख्या 57/53

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:07:13
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
140 / 173	48	19 / 0.253हैक्टे

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

र्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेगे।

: – यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के

य पक्षकारो का अमल दरामंद कर दिया जावें ।

ज......निल.........मुब्लिक.......निल.......बाबत.......निल.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह

सदी सालाना आज की तारिख वसूलयाबी तक.......अदा करे।

स्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.9.2024.......जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.11 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested